



# पंचायती राज विभाग उ०प्र०



संख्यां-/2255/2018-6/203/2021-22 दिनांक 09 मई 2022

## —:विज्ञापन:—

शासनादेश संख्या-580/33-3-2022-580/2022, दिनांक-05.05.2022 के अन्तर्गत पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पद पर चयन हेतु निम्नांकित योग्यता व विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य अभ्यर्थियों से आमंत्रित किये जाते हैं:-

- कुल रिक्त पद- 2783
- ग्राम पंचायतवाह व वर्गवार अवशेष पदों का विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट [www.panchaytiraiup.nic.in](http://www.panchaytiraiup.nic.in) पर उपलब्ध है।
- आवेदन तिथि-18 मई 2022 से 03 जून 2022 तक

पंचायत सहायक/एकाउन्टेन्ट कम डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के चयन की समय-सारिणी

क्र०	भर्ती प्रक्रिया	निर्धारित समय
1	ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना, ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट एवं मुनादी द्वारा कराये जाने की अवधि	15 मई, 2022 से 17 मई, 2022 तक
2	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि	18 मई, 2022 से 03 जून, 2022 तक
3	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खण्ड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने की अवधि	04 जून, 2022 से 09 जून, 2022 तक
4	ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार करना एवं ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना एवं समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव (जिला पंचायत राज अधिकारी) को उपलब्ध कराये जाने की अवधि	10 जून, 2022 से 17 जून, 2022 तक
5	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण संस्तुति	18 जून, 2022 से 25 जून, 2022 तक
6	ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत कराये जाने की अवधि	26 जून, 2022 से 28 जून, 2022 तक

आवेदन की प्रक्रिया-निर्धारित आवेदन के प्रारूप पर समस्त सूचनाएं अंकित कर व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक से अपनी ग्राम पंचायत, विकास खण्ड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जाएगा। समस्त चयन प्रक्रिया शासनादेश संख्या-42/2021/1235/33-3-2021-989 दिनांक 25.07.2021 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप संचालित होगी।

भवदीय  
निदेशक  
पंचायतीराज उ०प्र०